रजिस्ट्री सं० डी० 121 REGISTERED No. D. 121

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1971/फाल्गुन 3, 1892

No. 146] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 1971/PHALGUNA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February 1971

S.O. 916.—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for period of six months with effect from 22nd February, 1971 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q).]

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) विभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1971

सा० नि० 916.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22 फरवरी, 1971 से 21 अगस्त, 1971 तक छह मास के लिए आन्ध्र प्रदेश में सेवारत होगा, वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस० II (जी एण्ड क्यू)]

वी० वेंकटरामनु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971